अध्याय 4: संरक्षित क्षेत्र

अभ्यारण

18. अभ्यारण्य की घोषणा -- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी आरक्षित वन में समाविष्ट किसी क्षेत्र में भिन्न किसी क्षेत्र या राज्यक्षेत्रीय सागरखण्ड को अभ्यारण्य गठित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी, यदि वह यह समझती है कि ऐसा क्षेत्र, वन्यजीव या उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्द्धन या विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रुप से पारिस्थितिक, प्राणी-जात, वनस्पति-जात, भू-आकृति, विज्ञान-जात, प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान- जात महत्व का है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में यथा संभव निकटतम रुप से, ऐसे क्षेत्र की स्थिति और सीमाएं विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र की सड़कों, नदियों, टीलों या अन्य सुज्ञात या सरलता से बोधगम्य सीमाओं से वर्णित करना पर्याप्त होगा।

18क. अभ्यारण्यों की सुरक्षा -- (1) जब राज्य सरकार धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन उस उपधारा के अधीन किसी आरक्षित वनया राज्य क्षेत्रीय जल क्षेत्र के अन्तर्गत न आने वाले किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य के रुप में गठित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है तब धारा 27 से धारा 33क (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित है) के उपबंध तत्काल प्राभावी होंगे।

(2) धारा 19 से धारा 24 (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अधीन प्रभावित व्यक्तियों केअधिकारों का जब तक अंतिम रुप से निपटारो नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकार, सरकारी अभिलेख के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के लिए ईंधन, चारा और अन्य वन उत्पाद उनके अधिकारों के अनुसार, उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित वैकल्पिक व्यवस्था करेगी।

18ख. कलेक्टर की नियुक्ति -- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रवृत्त होने से नब्बे दिन के भीतर या धारा 18 के अधीन अधिसूचना जाती करने के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार अधिनियम के अधीन अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर आने वाले ऐसी भूमि पर जो धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की जा सकेगी, किसी व्यक्ति के अधिकारों के अस्तित्व, प्रकृति और विस्तार की जांच करने और उसके अवधारित करने के लिए कलेक्टर के रुप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो उप कलेक्टर से नीचे की पंक्ति का अधिकारी न हो।

19. कलेक्टर द्वारा अधिकारों का अवधारण किया जाना-- जब धारा 18 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई हो, तब कलेक्टर उस अभ्यारण की सीमाओं के भीतर आने वाले भूमि में या उसके संबंध में किसी व्यक्ति के अधिकारों के अस्तित्व, प्रकृति और विस्तार के बारे में जांच करेगा और उन्हें अवधारित करेगा।

20. अधिकारों के प्रोद्भवन का वर्जन -- धारा 18 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं में आने वाली भूमि, उस पर या उसके संबंध में कोई अधिकार, वसीयतों या निर्वसीयती, उत्तराधिकार के सिवाय अर्जित नहीं किया जाएगा।

21. कलेक्टर द्वारा उदघोषणा-- जब धारा 18 के अधीन कोई अधिसूचना निकाली जा चुकी है, तब कलेक्टर साठ दिन की कालावधि के भीतर उसके आस-पास के प्रत्येक नगर और ग्राम में या उसमें आने वाले क्षेत्र के आसपास प्रादेशिक भाषा में एक उदघोषणा प्रकाशित करेगा जिसमें:-

(क) प्रस्थापित अभ्यारण की, यथा संभव निकटतम रुप से स्थिति और सीमाएं विनिर्दिष्ट होगी' और

(ख) धारा 19 में वर्णित किसी अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसी उद्घोषणा की तारीख से दो मास के भीतर वह विहित प्रारुप लिखित रुप में दावा करें जिसमें ऐसे अधिकार की आवश्यक ब्यौरों के साथ प्रकृति और विस्तार और उसके बारे में दावाकृत प्रतिकर, यदि कोई हो, और उसकी रकम और विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होगी ।

22. कलेक्टर द्वारा दावेदार पर विहित सूचना की तामील करने के पश्चात--

(क) धारा 21 के खण्ड (ख) के अधीन उसके समक्ष किए गए दावे के बारे में, और

(ख) उस अधिकार के अस्तित्व के बारे में, जो धारा 19 में वर्णित है और धारा 21 के खण्ड (ख) के अधीन दावाकृत नहीं है,

शीघ्रता के साथ वहां तक जांच करेगा जहां तक कि वह राज्य सरकार के अभिलेखों और उससे परिचित किसी व्यक्ति के साक्ष्य से अभिनिश्चित किया जा सकता है।

23. कलेक्टर की शक्तियां -- (1) धारा 19 में निर्दिष्ट किसी भूमि में या उसके बारे में, किसी दावे की दशा में, कलेक्टर उसको पूर्णतः या भागतः स्वीकार करते हुए या मनामंजूर करते हुए एक आदेश पारित करेगा।

(2) यदि ऐसा दावा पूर्णतः या भागतः स्वीकार करते हुए या नामंजूर करते हुए एक आदेश पारित करेगा ।

(क) प्रस्थापित अभ्यारण्य की सीमाओं से ऐसी भूमि का अपवर्जन कर सकेगा, या

(ख) ऐसी भूमि को या ऐसी भूमि में या उसके बारे में अधिकार, सिवाय वहां के जहां कि ऐसी भूमि के स्वामी या ऐसे अधिकारों के धारक और सरकार के बीच किसी करार द्वारा वह स्वामी या ऐसे अधिकारों का धारक अपने अधिकार सरकार को अभ्यर्पित करने के लिए सहमत होग या है और ऐसा प्रतिकर, जैसा कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) में उपबंधित है, संदत्त करके, अर्जित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(ग) मुख्य वन्यजीव संरक्षक के परामर्श से अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर किसी भूमि में या उस पर किसी व्यक्ति के किसी अधिकार का जारी रहना अनुज्ञात कर सकेगा।

25. अर्जन कार्यवाहियां-- (1) ऐसी भूमि या ऐसी भूमि में या उसके बारे में अधिकारों के अर्जन के योजन के लिए:-

(क) कलेक्टर, ऐसा कलेक्टर समझा जाएगा, जो भूमि अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का (1) के अधीन कार्यवाही कर रहा है;

(ख) दावेदार को ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो हितबद्ध है और उस अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में उसके समक्ष उपस्थित हो रहा है;

(ग) उस अधिनियम की धारा 9 के पूर्ववर्ती धाराओं के उपबंधों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका अनुपालन हो गया है;

(घ) जहां दावेदार प्रतिकर के संबंध में अपने पक्ष में दिए गए अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करता है वहां उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस अधिनियम की धारा 18 के अर्थ में ऐसा हितबद्ध व्यक्ति है, जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, और वह उस अधिनियम के भाग 3 के उपबंधों के अधीन उस अधिनिर्णय के विरुद्ध अनुतोष का दावा करने के लिए कार्यवाही करने का हकदार होगा;

(ड) कलेक्टर, दावेदार की सहमति से या न्यायालय दोनों पक्षकारों की सहमति से, प्रतिकर, भूमि के या धन के रुप में या भागतः भूमि के रुप में और भागतः धन के रुप में दे सकेगा; और

(च) किसी लोक-मार्ग या सामान्य चारागाह के रोकेजाने की दशा में, कलेक्टर, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, यावत्साध्य या सुविधानुसार किसी आनुकल्पित लोक मार्ग या सामान्य चारागाह के लिए उपबंध कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि के या उसमें किसी हित के अर्जन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह लोक प्रयोजन के लिए अर्जन है।

25क. अर्जन कार्यवाहियां के पूरा होने के लिए समय सीमा-- (1) कलेक्टर धारा 18 के अधीन अभ्यारण्स की घोषणा की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के भीतर धारा 19 से धारा 25 (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अधीन यथासंभव कार्यवाहियों को पूरा करेगा।

(2) यदि किसी कारण से कार्यवाहियां दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं की जाती है तो अधिसूचना व्यपगत नहीं होंगी।

26. कलेक्टर की शक्तियों का प्रत्यायोजन-- राज्स सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि कलेक्टर द्वारा धारा 19 से धारा 25 के (जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं) अधीन प्रयोक्तव्य

शक्तियां या किए जाने वाले कृत्य, ऐसे अधिकारी द्वारा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयुक्त की जा सकेगी और किए जा सकेंगे।

26क. क्षेत्र की अभ्यारण्य के रुप में घोषणा-- (1) यदि--

(1) धारा 18 के अधीन कोई अधिसूचना जारी कर गई है और दावे करने की अवधि समाप्त हो गई है और अभ्यारण्य के रुप में घोषित किए जाने के लिए आशयित किसी क्षेत्र में किसी भूमि के संबंध में सभी दावो, यदि कोई हों, राज्य सरकार द्वारा निपटा दिए गए हैं; या

(ख) किसी आरक्षित वन के भीतर समाविष्ट कोई क्षत्र या राज्य क्षेत्रीय सागरखण्ड का कोई भाग, जिसे राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव या उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्द्धन या विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रुप से पारिस्थितिक, प्राणी-जात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात, प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान-जात महत्व का समझा जाता है, किसी अभ्यारण्य में सम्मिलित किया जाना है, तो राज्य सरकार उस क्षेत्र की सीमाएं विनिर्दिष्ट करते हुए, जो अभ्यारण्य में समाविष्ट किया जाएगा, अधिसूचना जारी करेगी और यह घोषित करेगी कि उक्त क्षेत्र उस तारीख से ही, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएक, अभ्यारण्य होगाः

परन्तु जहां राज्यक्षेत्रीय सागरखंड का कोई भाग इस प्रकार सम्मिलित किया जाना है वहा राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अभिप्राप्त करेगीः

परन्तु यह और कि अथ्यारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले राज्यक्षेत्रीय सागरखण्ड के क्षेत्र की सीमाएं केन्द्रीय सरकार के मुख्य नौ जलराशि-सर्वेक्षक के परामर्श से और स्थानीय मछुआरों के वृत्तिक हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने के पश्चात अवधारित की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना से राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड से किसीह जलयान या नौका के निर्दोष आवागमन का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश के सिवाय राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

27. अभ्यारण्य में प्रवेश पर निर्बन्धन-- (1)

(क) किसी कर्तव्यरत लोक सेवक से भिन्न--

(ख) ऐसे व्यक्ति से, जो मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यारण्य की सीमाओं के अन्दर निवास करने के लिए अनुज्ञात है, भिन्न;

(ग) ऐसे व्यक्ति से, जिसका अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर स्थावर संपत्ति पर कोई अधिकार है, भिन्न;

(घ) ऐसे व्यक्ति से जो लोक राजमार्ग के साथ-साथ अभ्यारण्य में से हाकर जाता है, भिन्न, और

(ड) खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति के आश्रितों से भिल्ल; कोई भी व्यक्ति धारा 28 के अधीन दिए गए अनुज्ञापत्र के अधीन और उसकी शर्तो अनुसरण में ही अभ्यारण्य में प्रवेश करेगा या निवास करेगा अन्यथा नहीं।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जब तक वह अभ्यारण्य में निवास करता है -

(क) अभ्यारण्य में इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए

(ख) जहां तक विश्वास करने का कारण है कि ऐसे अभ्यारण्य में इस अधिनियम के विरुद्ध ऐसा कोई अपराध किया गया है, वहां अपराधी का पता चलाने और उसे गिरफ्तार करने में सहायता करने के लिए;

(ग) किसी वन्य प्राणी की मृत्यु की रिपोर्ट करने और उसके अवशेषों की तब तक सुरक्षा करने के लिए जब तक कि मुख्य वन्यजीव संरक्षक या कोई प्राधिकृत अधिकारी उसका भार ग्रहण नहीं कर लेता है;

(घ) ऐसे अभ्यारण्य में ऐसी किसी आग को बुझाने के लिए जिसके बारे में उसे ज्ञान या जानकारी है, और ऐसे अभ्यारण्स के सामीप्य में किसी आग को, जिसके बारे में उसे ज्ञान या जानकारी है, फैलने से, विधिपूर्ण साधनों से जो कि उसकी शक्ति में हैं, रोकने के लिए; और

(ङ) किसी वन अधिकारी, मुख्य वन जीव संरक्षक, वन्यजीव संरक्षक या पुलिस अधिकारी को, जो इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध को रोकने के लिए या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने के लिए उसकी सहायता मांग रहा हो, सहायता करने के लिए, आबद्ध होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यारण्य के किसी सीमा चिन्ह को नुकसान पहुंचाने या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में यथा परिभाषित सदोष लाभ कारित करने के आशय से ऐसे सीमा चिन्ह में न तो फेरफार करेगा, न उसके नष्ट करेगा, न हटाए या विरुपित करेगा।

(4) कोई व्यक्ति किसी वन्यप्राणी को तंग या उत्पीडित नहीं करेगा या अभ्यारण्य की भूमि को अव्यवस्थित नहीं करेगा।

***28. अनुज्ञापत्र का दिया जाना--** (1) मुख्य वन्यजीव संरक्षक आवेदन किए जाने पर किसी व्यक्ति को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए अभ्यारण्य में प्रवेश करने या निवास करने के लिए अनुज्ञापत्र दे सकेगा, अर्थात्:-

(क) वन्यजीव के अन्वेषण का अध्ययन और उसके प्रासंगिक या अनुषंगिक प्रयोजन;

(ख) फोटोचित्रण;

(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(घ) पर्यटन;

(ङ) अभ्यारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारबार करना।

(2) किसी अभ्यारण्य में प्रवेश या निवास करने के लिए अनुज्ञापत्र ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, जारी किया जाएगा।

29. अनुज्ञापत्र के बिना अभ्यारण्स में नाशकरण, आदि पर प्रतिषेध -- कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा दिए गए अनुज्ञापत्र के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, किसी भी कार्य द्वारा किसी अभ्यारण्य में वनोत्पाद सहित किसी वन्यजीव को नष्ट नहीं करेगा, उसका विदोहन नहीं करेगा या उसे नहीं हटाएगा या उसका अपवर्तन नहीं करेगा अथवा अभ्यारण्य में या उसके बाहर जल अपवर्तन, रोधन अथवा वृद्धि नहीं करेगा और ऐसा अनुज्ञापत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक राज्य सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो जाने पर कि अभ्यारण्य से वन्यजीव को हटाया जाना अथवा अभ्यारण्य के अन्दर अथवा बाहर की ओर जल प्रवाह में परिवर्तन किया जाना, उसमें वन्यजीवों के सुधार और बेहतर प्रबंध के लिए आवश्यक है, ऐसी अनुज्ञापत्र देने के लिए प्राधिकृत नहीं कर देतीः

परन्तु जहां किसी अभ्यारण्य से वनोत्पाद को हटाया जाता है, उसका उपयोग, अभ्यारण्य में अथवा आसपास रहने वाले लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा और किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 33 के खण्ड (घ) के अधीन अनुज्ञात पशुधन की चराई या संचलन इस धारा के अधीन प्रतिषिद्ध कार्य नहीं समझा जाएगा।

30. आग लगाने के बारे में प्रतिषेध-- कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यारण्य में, ऐसी रीति से जिससे ऐसा अभ्यारण्य खतरे में पड़ जाए, न तो आग लगाएगा, न आग प्रज्वलित करेगा और न किसी आग को जलते हुए छोड़ेगा।

31. अभ्यारण्य में आयुध सहित प्रवेश का प्रतिषिद्ध होना-- कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी की दलिखित पूर्व अनुज्ञा से ही किसी आयुध सहित किसी अभ्यारण्य में प्रवेश करेगा अन्यथा नहीं।

32. क्षतिकर पदार्थ के प्रयोग पर रोक-- कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यारण्य में रसायनों, विस्फोटकों या किन्हीं अन्य पदार्थों का, जो ऐसे अभ्यारण्य के किसी वन्यजीव को क्षति पहुंचा सकें या खतरे में डाल सकें, प्रयोग नहीं करेगा।

33. अभ्यारण्यों का नियंत्रण -- मुख्य वन्यजीव संरक्षक ऐसे प्राधिकारी होगा जो सभी अभ्यारण्यों का नियंत्रण करेगा, उनका प्रबंध करेगा और उन्हें बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिए वह किसी अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर :-

(क) ऐसी सड़के, पुल, भवन, बाड़ या रोक फाटक सन्निर्मित कर सकेगा, तथा ऐसे अन्य संकर्मों की जो वह ऐसे अभ्यारण्य के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे विनिर्मित कर सकेगा:

(ख) ऐसे कदम उठाएगा जो अभ्यारण्य में वन्य प्राध्णियों के सुरक्षा तथा अभ्यारण्य और उसमें वन्य प्राणियों का परिरक्षण सुनिश्चित करें;

(ग) वन्जीवों के हित में ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह किसी आवास से सुधार के लिए आवश्यक समझे;

(घ) वन्यजीवों के हित के अनुकूल पशुधन के चरने या संचलन को विनियमित, नियंत्रित या प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

33क. पशुधन का असंक्रमीकरण-- (1) मुख्य जीव वन्यजीव संरक्षक अभ्यारण्य या उससे पांच किलामीटर के भीतर रखे गए पशुधन में संचारी रोगों के अंसक्रमीकरण के लिए, ऐसी रीति में ऐसे उपाय, जो विहित किए जाएं, करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति अंसक्रमित कराए बिना किसी पशुधन को किसी अभ्यारण्य में न तो ले जाएगा, न ले जाने देगा, न चराएगा।

33ख. सलाहकार समिति-- (1) राज्य सरकार, एक सलाहकार समिति का गठन करेगी जिसका अध्यक्ष मुख्य वन्यजीव संरक्षक अथवा वनपाल के अनिम्न पंक्ति का उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा तथा उसमें उस राज्य विधान-मंडल का सदस्य, जिसके निर्वाचन-क्षेत्र में वह अभ्यारण्य स्थित है, पंचायतीराज संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय तीन व्यक्ति, गृह और पशुपालन मामलों से संबद्ध विभागों के एक-एक प्रतिनिधि, अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक, यदि कोई हो, तथा अभ्यारण्य का भारसाधक अधिकारी सदस्य-सचिव के रुप में सम्मिलित होंगे।

(2) समिति, अभ्यारण्य के भीतर और आस-पास रहने वाले लोगों की सहभागिता सहित अभ्यारण्य के बहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में परामर्श देगी।

(3) यह समिति अपनी कार्य पद्धति को, जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति (कोरम) भी है, विनियमित करेगी।

34. आयुध रखने वाले कतिपय व्यक्तियों का रजिस्टीकरण - (1) किसी भी क्षेत्र के अभ्यारण्य के रुप घोषित किए जाने के तीन मास के भीतर, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे किसी अभ्यारण्य के दस किलोमीटर के भीतर निवास कर रहा है और आयुध रखने के लिए अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के अधीनददीगगई अनुज्ञप्ति धारण करता है या जो उस अधिनियम के उपबंधों से छूट प्राप्त है और उसके पास आयुध है, ऐसे प्रारुप में और ऐसी फीस का संदाय करके तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को अपने नाम के रजिस्ट्रीकरण करेगा जो विहित की जाए ।

(2) उपराधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर मुख्य वन्यजी संरक्षक या अधिकारी आवेदक को नाम ऐसी रीति में रजिस्ट्रीकरण करेगा जो विहित की जाए ।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन कोई नई अनुज्ञप्ति, अभ्यारण्य की दस किलामीटर की परिधि के भीतर, मुख्य वन्यजीव संरक्षक की पूर्व सहमति के बिना, नहीं दी जाएगी ।

34क. अतिक्रमण को हटाने की शक्ति– (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सहायक वनपाल से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी-

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में अप्राधिकृत रुप से सरकार भूमि पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को अभ्यारण्य अथवा राष्टीय उपवन से बेदखल कर सकेगा ।

(ख) किसी अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उपवन के भीतर किसी सरकारी भूमि पर खड़ी की गई किसी अप्राधिकृत संरचना, भवन अथवा सन्निर्माण को हटा सकेगा और उस व्यक्ति की सभी वस्तुएं, औजार और चीजबस्त उप वनपाल के पद से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी के आदेश द्वारा, समपहृत कर लिया जाएगाः

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

(2) इस धारा के उपबंध किसी अन्य शास्ति के होते हुए भी जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अतिक्रमण के लिए लगाई जा सकेगी, लागू होंगे।

राष्ट्रीय उपवन

***35. राष्ट्रीय उपवनों की घोषणा--**(1) जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि कोई क्षेत्र जो किसी अभ्यारण्य के भीतर है या नहीं, अपने परिस्थितिक, प्राणी-जात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणी विज्ञान-जातमहत्व के कारण उसमें वन्यजीवों के और उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय उपवन के रुप में गठित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगीः

परन्तु जहां राज्य क्षेत्रीय सागरखण्ड के किसी भाग को ऐसे राष्ट्रीय उपवन में सम्मिलित करना प्रस्थापित है वहां धारा 26क के उपबंध, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय उपवन की घोषणा के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अभ्यारण्स की घोषणा के संबंध में लागू होते हैं।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना में उस क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित की जाएंगी जिसे राष्ट्रीय उपवन के रुप में घोषित करने का आशय है।

(3) जहां किसी क्षेत्र को राष्ट्रीस उपवन के रुप में घोषित करने का आशय है वहां धारा 19 से धारा 26क (जिसमें धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के सिवाय ये दोनों धाराएं भी सम्म्लित हैं) उपबंध यथाशक्य ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि के संबंध में दावों के अन्वेषण और अवधारण को तथा अधिकारों के निर्वापन को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अभ्यारण्य में किसी भूमि के संबंध में उक्त बातों के बारे में लागू होतो हैं।

(4) जब निम्नलिखित घटनाएं घटित हो गई हैं, अर्थात्:-

(क) दावे करने की अवधि बीतचुकी है और राष्ट्रीय उपवन के रुप में घोषित किए जाने के लिए आशयित किसी क्षेत्र में किसी भूमि के संबंध में किए गए दावे, यदि कोई हों, राज्य सरकार द्वारा निपटा दिए गए हैं, और

(ख) राष्ट्रीय उपवन में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के बारे में सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित हो गए हैं,

तब राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित करेगी जिसमें क्षेत्र की सीमाएं विनिर्दिष्ट की जाएंगी जो राष्ट्रीय उपवन में समाविष्ट होंगी और यह घोषित करेगी कि उक्त क्षेत्र ऐसी तारीख को और से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय उपवन होगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उपवन की सीमाओं में कोई परिवर्तन राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(6) कोई भी व्यक्ति, मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा दिए गए अनुज्ञापन के अधीन उसके अनुसार ही, किसी राष्ट्रीय उपवन में वनोत्पाद सहित किसी वन्यजीव को नष्ट करेगा अथवा उसको शोषण करेगा या उसे हटाएगा अथवा किसी भी कार्य द्वारा किसी वन्यजीव के आवास को नष्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, या उपवर्तन करेगा अथवा राष्ट्रीय उपवन में अथवा उसके बाहर जल प्रवाह का अपवर्तन, रोधन अथवा वृद्धि करेगा और ऐसा अनुज्ञापत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार का राष्ट्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाने पर कि राष्ट्रीय उपवन से वन्यतीव को हटाया जाना अथवा राष्ट्रीय उद्यान के अन्दर अथवा बाहर की ओर जल प्रवाह में परिवर्तन किया जाना उसमें रहने चाले व्यय जीवों के सुधार बेहतर प्रबंध के लिए आवश्यक है, ऐसा अनुज्ञापत्र देने के लिए प्राधिकृत नहीं कर देती हैः

परन्तु जहां किसी राष्ट्रीय उपवन से वनोत्पाद को हटाया जाता है, वहां उसका उपयोग राष्ट्रीय उपवन में अथवा आस-पास रहने वाले लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा और किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

(7) किसी पशुधन को, सिवाय उस दशा के जिसमें की ऐसे पशुधन का, ऐसे राष्ट्रीय उपवन में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यान के रुप में उपयोग किया जाता है, किसी राष्ट्रीय उपवन में चरने नहीं दिया जाएगा और किसी पशुधन को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

(8) धारा 27 और धारा 28, धारा 30 से 32 (जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित है) और धारा 33, धारा 33 क के खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) तथा धारा 34 के उपबंध किसी राष्ट्रीय उपवन के संबंध में यावत्शक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अभ्यारण्य के सबंध में लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे क्षेत्र की दशा में, चाहे वह अभ्यारण में हो या न हो, जहां अधिकारों की निर्वापित कर दिया गया है और भूमि किसी विधि के अधीन या अन्यथा राज्य सरकार में निहित हो गई है, उसके द्वारा ऐसे क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय उपवन अधिसूचित किया जा

सकेगा और धारा 19 से धारा 26 तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के अधीन कार्यवाहियां तथा इस धारा की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

36. [निरसित]

36क. संरक्षण आरक्षिति की घोषणा और प्रबंधन-- (1) राज्य सरकार, स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात् सरकार के स्वामित्वाधीन किसी क्षेत्र को, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों को जो राष्ट्रीय उवनों और अभ्यारणों के निकट स्थित है और जो एक संरक्षितक्षेत्र को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोड़ते हैं, भू-परिदृश्य, वनस्पतियों तथा प्राणियों और उनके आवास की सुरक्षा करने के लिए संरक्षण आरक्षिति घोषित कर सकेगाः

परन्तु जहां संरक्षण हेतु आरक्षिति में से भूमि सम्मिलित हैं जो केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन हो तो ऐसी घोषणा करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) धारा 18 की उपधारा (2), धारा 27 की उपधारा (2), उपधारा (3ल् और उपधारा (4), धारा 30, धारा 32 तथा धारा 33 के खण्ड (ख) (ग) संरक्षण आरक्षिति के मामले में, यावत्संभव, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अभ्यारण्स के सबंध में लागे होते हैं।

36ख. संरक्षण आरक्षिति प्रबंध समिति-- (1) राज्य सरकार, संरक्षण आरक्षिति के संरक्षण प्रबंधन और उसका रखरखाव करने में मुख्य वन जीव संरक्षक को सलाह देने के लिए संरक्षण आरक्षिति प्रबंध समिति का गठन करेगी।

(2) समिति में वन अथवा वन्यजीव विभाग का एक प्रतिनिधि जो समिति का सदस्य-सचिव होगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत, जिसकी अधिकारिता में आरक्षिती अवस्थित है, का एक प्रतिनिधि, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठानों के तीन प्रतिनिधित था कृषि और पशुपालन विभागों के एक-एक प्रतिनिधि होंगे।

36ग. सामुदायिक आरक्षिति की घोषणा और प्रबंधक-- (1) राज्य सरकार, एक सामुदायिक आरक्षिति प्रबंध समिति का गठन करेगी जो सामुदायिक आरक्षिति का संरक्षण, रखरखाव तथा प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(2) समिति, ग्राम पंचायत द्वारा अथवा जहां ऐसी पंचायत नहीं है वहां ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, नामनिर्दिष्ट पांच प्रतिनिधियों और राज्य वन विभाग अथवा वन्यजीव विभाग जिसकी अधिकारिता के अधीन सामुदायिक आरक्षिति अवस्थित है, के एक प्रतिनिधि, से मिलकर बनेगी।

(3) समिति, समुदाय आरक्षिति के लिए प्रबंध योजना तैयार करने और उसके क्रियान्वित करने तथा आरक्षिति में वन्य जीवों और उनके आवासों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी।

(4) समिति, एक अध्यक्ष का चयन करेगी जो सामुदायिक आरक्षिति का अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक भी होगा।

(5) समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति भी है, विनियमित करेगी।

निषिद्ध क्षेत्र

37. [निरसित]

केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन

***38. क्षेत्रों को अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उपवन घाषित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति--** (1) जहां राज्य सरकार अपने नियंत्राणाधीन कोई क्षेत्र, जो किसी अभ्यारण्य के भीतर का क्षेत्रनहीं है केन्द्रीय सरकार को पट्टे पर दे देती है या अन्यथा अन्तरित कर देती है वहां यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि धारा 18 में विनिर्दिष्ट शर्तें उसे इस प्रकार अन्तरित किए गए क्षेत्र के बारे में पूरी कर दी गई हैं तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करसकेगी और धारा 18 से धारा 35 (जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं), धारा 54 और धारा 55 के उपबंध ऐसे अभ्यारण्स के बारे में वैसे ही लागे होंगे जैसे वे राज्य सरकार द्वारा घोषित किसी अभ्यारण्य के बारे में लागू होते हैं।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि धारा 35 में विनिर्दिष्ट शर्तें उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र के बारे में, चाहे ऐसा क्षेत्र केनद्रीय सरकारया राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्य घोषित किया गया है या नहीं, पूरी हो गई है तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उपवन घोषित कर सकेगी और

धारा 35, धारा 54 और धारा 55 के उपबंध ऐसी राष्ट्रीय उपवन के बारे में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे राज्य सरकार द्वारा घोषित किसी राष्ट्रीय उपवन के बारे में लागू होते हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किसी भी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन के बारे में उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट धाराओं के अधीन मुख्य वन्यजीव संरक्षक की शक्तियों और कत्र्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन निदेशक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, किया जाएगा ता पूर्वोत्त धाराओं में राज्य सरकार के प्रति निदेशों का यह अर्थ लगाया जागा कि वे केन्द्रीय सरकार के प्रति निदेश हैं तथा उनमें राज्य के विधान-मण्डल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह संसद के प्रति निर्देश हैं।

अध्याय 4क

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और चिडियाघरों को मान्यता

38क. केन्द्रीय चिड़ियाघर का गठन-- (1) अध्यक्ष और सदस्य-सचिव से भिन्न प्रत्येक सदस्य तीव वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति--

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) ऐसी किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तग्रस्त है;

(ग) विकृतचित हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ड) प्राधिकरण से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना प्राधिकरण के लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है; या

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में उसने अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उस व्यक्ति का पद पर बने रहना लोक हित के लिए अहित कर हैः

परन्तु इस खण्ड के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नए सिरे से नियुक्ति करके भरी जाएगी।

(5) प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव के वेतन और भत्ते तथा उनकी नियुक्ति की अन्य शर्ते वे होगी जो विहित की जाएं।

(6) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का नियोजित करेगा, जो वह प्राधिकरण के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए, आवश्यक समझे।

(7) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्ते वे होगी जो विहित की जाएं।

(8) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्राुटि है।

38ग. प्राधिकरण के कृत्य-- प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

(क) किसी चिडियाघर में रखे गए प्राणियों के आवास, अनुरक्षक और चिकित्सीय देखभालके लिए न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट करना‘

(ख) ऐसे मानकों या मापदंडों की बाबत जो विहित किए जाए, चिडियाघरों के कार्यकरण का मूल्यांकन और निर्धारण करना;

(ग) चिडियाघरों को मान्यता देना या उनकी मान्यता वापस लेना;

(घ) बंदी रुप से प्रजनन के प्रयोजनों के लिये वन्यप्राणियों की संकटापन्न जातियों का पता लगाना और इस संबंध में किसी चिडियाघर को उत्तरदायित्व सौंपना;

(ड) प्रजनन के प्रयोजन के लिए प्राणियों के अर्जनख् आदान-प्रदान और उधार पर लेने-देने का समन्वय करना;

(च) बंदी रुप से प्रजनित वन्यप्राणी की संकटापन्न जातियों की अध्ययन पुस्तिकाओं को बनाए रखना सुनिश्चित करना;

(छ) किसी चिडियाघर में बंदी प्राणियों के प्रदर्शन की बाबत पूर्विकताओं और विषय वस्तुओं का पता लगाना;

(ज) भारत में और भारत के बाहर चिडियाघर के कार्मिकों के प्रशिक्षण का समन्वय करना;

(झ) चिडियाघरों के वैज्ञानिक आधार पर उचित प्रबंध और विकास के लिए, उन्हें तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करना;

(त्र) चिडियाघरों के वैज्ञानिक आधार पर उचित प्रबंध और विकास के लिए, उन्हें तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो चिड़ियाघरों के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

38 घ. प्रक्रिया का प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाना--(1) प्राधिकरण का, जब कभी आवश्यक हो, अधिवेशन होगा और अधिवेशन ऐसे समय तथा स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) प्राधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाऐंग।

38 ड. प्राधिकरण को अनुदान और उधार तथा निधि का गठन-- (1) केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को अनुदान और ऋण की उतनी धनराशि दे सकेगा जो वह सरकार आवश्क समझे।

(2) केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिए गए किन्हीं अनुदानों और ऋणों, प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी फीसों और प्रभारों तथा प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्त्रोत से, जो केघ्न्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त राशियों को जमा किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निधि का उपयोजन प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वतन, भत्तों तथा अन्य पारिश्रमिक को चुकाने और इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में उसके खर्चों और इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारुप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भार के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

(5) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए और ऐसी संरपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा नियत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(6) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार तथा विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे ।

(7) नियंत्रक- महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाऐंगे।

38 च. वार्षिक रिपोर्ट-- प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय-वर्ष के लिए ऐसे प्रारुप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण होगा तथा उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

38 छ. चिडियाघर को मान्यता--(1) कोई भी चिडियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता दिए बिना संचालित नहीं की जाएगाः

परन्तु वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ की तारी के ठीक पूर्व संचालति किया जा रहा है कोई भी चिडियाघर ऐसे प्रारंभ की तारीख से अठारह तास की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त किए बिना संचालित किया जा सकेगा और यदि मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन उस विध के भीतर किया जाता है तो उस चिडियाघर को उक्त आवेदन के अन्तिम रुप से विनिश्चित किए जाने या वापस लिए जाने तक संचालित किया जा सकेगा और नामंजूर किए जाने की दशा में ऐसे नामंजूर किए जाने की तारीख से छह मास क और अवधि के लिए संचालित किया जा सकेगा।

(1क) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ को या उसके पश्चात कोई चिडियाघर प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, स्थापित नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी चिडियाघर की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन प्राधिकरण को ऐसे प्रारुप में और ऐसी फीस के संदाय पर किया जाएगा जो विहित की जाए।

(3) प्रत्येक मान्यता में, ऐसी शर्ते, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट होंगी जिनके अधीन आवेदक चिडियाघर संचालित करेगा।

(4) किसी चिडियाघर को मान्यता तब तक नहीं दी जाएगी जबतक प्राधिकरण का, वन्य जीव के परिरक्षण और संरक्षण के हितों का और ऐसे मानकों, मापदण्डों तथा अन्य बातों का, जो विहित की जाएं सम्यक ध्यान रखते हुए यह समाधान नहीं हो जाता है कि मान्यता दी जानी चाहिए।

(5) किसी चिडियाघर की मान्यता के लिए आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(6) प्राधिकरण, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाऐंगे, उपधारा (4) के अधीन अनुदत्त किसी मान्यता को निलंबित या रद्द कर सकेगाः

परन्तु कोई ऐसा निलंबन या रद्दकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक चिडियाघर संचालित करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(7) उपधारा (5) के अधीन किसी चिडियाघर को मान्यता देना नामंजूर करने वाले किसी ओदश या उपधारा (6) के अधीन किसी मान्यता को निलंबित या रद्द करने वाले किसी ओदश के विरुद्ध अपील केन्द्रीय सरकार को होगी।

(8) उपधारा (7) के अधीन अपील, आवेदक को उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की जाएगी, संसूचना की जारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगीः

परन्तु केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्त अवधि की समाप्ति के पश्चात की गई कोई अपील ग्रहण कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास समय पर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

38झ. किसी चिडियाघर द्वारा प्राणियों का अर्जन-- (1) इस धिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी चिडयाघर अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी वन्यजीव अथवा बंदी प्राणी का अर्जन, विक्रय या अन्तरण प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा से ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(2) कोई भी चिडियाघर, वन्य प्राधियों अथवा बंदी प्राधियों का अर्जन, विक्रय या अन्तरण किसी मान्यता प्राप्त चिडियाघर से या को करेगा, अन्यथा नहीं।

38ञ. किसी चिडियाघर में तंग करने आदि का प्रतिषेध-- कोई भी व्यक्ति किसी चिडियाघर में किसी प्राणी, को तंग, उत्पीडित नहीं करेगा, उसे क्षति नहीं पहुंचाएगा, न ही उसे खिलाएगा अथवा शोर करके या अन्यथा प्राणियों का विक्षुब्ध नहीं करेगा या भूमि को अव्यवस्थित नहीं करेगा।

अध्याय 4ख: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

38ट. परिभाषाएं-- इस अध्याय में --

(क) **"राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण"** से धारा 38ठ के अधीन गठित व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) **"संचालन समिति"** से धारा 38प के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ग) **"व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान"** से धारा 38भ क अधीन स्थापित प्रतिष्ठान अभिप्रेत है;

(घ) **"व्याघ्र आरक्षिति राज्य"** से ऐसा कोई राज्य अभिप्रेत है जिसमें व्याघ्र आरक्षिति है;

(ड) **"व्याघ्र आरक्षिति"** से धारा 38फ के अधीन अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है।

38ठ. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राणिकरण का गठन–(1) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक निकाय (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण कहा गया है), का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगा।

(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकरबनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं अर्थात -

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय का भारधाणक मंत्री–अध्यक्ष;

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री--उपाध्यक्ष;

(ग) तीन संसद सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे;

(घ) आठ विशेषज्ञ या वृत्तिक जिनके पास वन्य जीव संरक्षण और व्याघ्र आरक्षिति में निवास कर रहे व्यक्तियों के कल्याण में विहित अर्हताएं और अनुभव है; जिनमें से कम से कम दो जनजातीय विकास के क्षत्र से होंगे;

(ड) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय

(च) वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय;

(छ) निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय

(ज) व्याघ्र आरक्षित राज्यों चक्रानुक्रम से तीन वर्ष के लिए छह मुख्य वन्यजीव संरक्षक;

(झ) विधि और न्याय मंत्रालय से कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ञ) सचिव, जनजाति मामले मंत्रालय;

(ट) सचिव, सामाजिक न्या और अधिकारिता मंत्रालय;

(ठ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;

(ड) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग;

(ढ) सचिव, पंचायती राज्य मंत्रालय;

(ण) वन महानिरीक्षक या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी जिसक पास व्याघ्र आरक्षिति या वन्य प्राणी प्रबंधन में कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव हो, जो सदस्य-सचिव होगा।

(3) यह घोषणा की जाती है कि व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य का पद उसके धारक को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने से या होने से निरर्हित नहीं करेगा।

38ड. सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें-- (1) धारा 38ठ की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगाः

परन्तु कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार धारा 38ठ की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी सदस्य को उसके पद से हटा देगी यदि वह--

(क) न्यायानिर्णीत दिवालिया है या किसी समय रहा है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है;

(ग) विकृतचित्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घाषित कर दिया गया है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ड) व्याघ्र संरखण प्राधिकारी से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना उक्त प्राधिकरण के लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है; या

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका उस पर पर बने रहना लोकहित के लिए अहित कर है;

परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसको उस विषय में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया है।

(3) किसी सदस्य के पद की कोई रिक्ति नए सिरे से नियुक्ति करके भरी जाएगी और ऐसा सदस्य उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

(4) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा नियुक्ति की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(5) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पपर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि व्याध्र संरक्षण प्राधिकरण में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

38ढ. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी-- व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जिन्हें यह आवश्यक समझेः

परन्तु व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के गठन के ठीक पूर्व व्याघ्र परियाजना दिेशालय के अधीन पद धारण करने वाले और व्याघ्र परियोजना से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उस तारीख से उक्त प्राधिकरण में उसी अवधि तक या छह मास की अवधि के समाप्त होने तक और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करते रहेंगे यदि ऐसे कर्मचारी उस प्राधिकरण का कर्मचारी न होने का विकल्प देते हैं।

(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

38ण. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य-- (1) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और निम्नलिखित कृत्यों का निवर्हन करेगा, अर्थात:-

(क) इस अधिनियम की धारा 38फ की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजना का अनुमोदन करना;

(ख) रक्षणीय पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और निर्धारण तथा व्याघ्र आरखिति में पारिस्थितिकी की भूमि के आरक्षणीय उपयोग जैसे खनन उद्योग और अन्य परियोजनाओं, को अनुज्ञात करना;

(ग) व्याघ्र आरक्षिति के मध्यवर्ती और आंतरिक क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के लिए समय-समय पर पर्यटन क्रियाकलाप के लिए प्रमाणिक मानक और व्याघ्र परियोजना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना और उनका सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) राष्ट्रीय उपवन, अभ्यारण्य या व्याघ्र आरक्षिति के बाहर व्याघ्र वाले वन क्षेत्रों में मनुष्य और वन्य प्राणियों के अक्राव और सह-अस्तित्व पर बल देने के लिए कार्यकरण योजना संहिता में प्रबंध के मुख्य क्षेत्र उपायों का उपबंध करना;

(ड) संरक्षण उपयों, जिनके अन्तर्गत भविष्य संरक्षण योजना, व्याघ्र और उसकी प्राकृतिक भक्ष्य प्रजातियों के जीवों की संख्या का प्राक्कलन, आवासियों की प्रास्थिति, रोग निगरानी, मृत्यु दर-सर्वेक्षण, चैकसी करना, अनपेक्षित घटनाओं के संबंध में रिपोटों और ऐसे अन्य प्रबंध पहलुओं, जो आवश्यक प्रतीत हें, जिनके अन्तर्गत भविष्य योजना संरक्षण भी है, के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना;

(च) व्याघ्र, सहज प्रजातियों, भक्ष्य, आवास, संबंधित पारिस्थितिकीय और सामाजिक आर्थिक मानदंडों का अनुमोदन करना, उनके संबंध में अनुसंधान का समन्वय करना और उनकी मानीटरी करना तथा उनका मूल्यांकन करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि व्याघ्र आरक्षितियां और एक संरक्षित क्षेत्र या व्याघ्र आरक्षिति को, अन्य संरक्षित क्षेत्र या व्याघ्र आरक्षिति से जोड़ने वाले क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय आरक्षणीय उपयोगों के लिए लोकहित और व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय विचलित नहीं किया गया है;

(ज) केन्द्रीय और राज्य विधियों से सुसंगत निकटस्थ क्षेत्रों में पूर्व अनुमोदित प्रबंध योजनाओं के अनुसार राज्य में जैव विविधता संरक्षण पहलुओं के लिए पारिस्थितिकी के विकास और जनता, की भागीदारी के माध्यम से व्याघ्र आरक्षिति प्रबंधन को सुकर बनाना और उसका समर्थन करना;

(झ) व्याघ्र संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संकटकालीन सहायता जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और विधिक सहायता भी है, सुनिश्चित करना;

(ञ) व्याघ्र आरक्षिति के अधिकारियों और कर्मचारियों को कुशलता के विकास के लिए चलाए जा रहे क्षमता निर्माण के कार्यक्रम को सुकर बनाना; और

(ट) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो व्याघ्रों के संरक्षण और उनके आवास के संबंध में आवश्यक हों।

(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण इस अध्याय के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, व्याघ्र आरक्षितियों में व्याघ्र संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा:

परन्तु ऐसा कोई निर्देश स्थानीय लोगें, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों में विघ्न नहीं डालेगा या उनको प्रभावित नहीं करेगा।

38त. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया-- (1) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ऐसे समय तथा स्थान पर अधिवेशन करेगा, जो अध्यक्ष प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(3) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(4) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा यह इस निमित सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रुप से प्राधिकृत उक्त प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

38थ. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को अनुदान और उधार तथा निधि का गठन--(1) केन्द्रीय सरकार, इस निमित संसद द्वारा, विधि द्वारा किए गये सम्यक विनियोग के पश्चात व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को उतनी धनराशि का अनुदान और उधर दे सकेगी जो वह सरकार आवश्यक समझे।

(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा--

(1) केन्द्रीय संरकार द्वारा व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को दिए गए अनुदान और उधार;

(2) इस अधिनियम के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई सभी फीसें और प्रभार;
और

(3) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्त्रौंतों से जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाये, प्राप्त सभी राशियां।

(3) अपराध (2) निर्दिष्ट निधि का उपयोजन, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा अन्य पारिश्रमिक और इस अध्याय के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वाहन में उपगत खर्चों को पूरा करने के लिए किया जायेगा।

38द. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लेखा और संपरीक्षा-- (1) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण उचित लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारुप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाये।

(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जायेगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये और ऐसे संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के सबंध में नियुक्त तिथि अन्य व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक महालेखापरीक्षक की साधारणतया सरकारी लेखाओं के संपरीक्षा के

संबंध में है और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं, संबंधित व्हाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज पत्रों को पेश किये जाने की मांग करने और प्राधिकरण के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा निमित नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लेखे, उनके संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जायेंगे।

38 ध. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट-- व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रारुप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा,जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण होगा तथा उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेंगे।

38 न. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का संसद के समक्ष रखे जाना-- केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ उनमें अन्तर्विष्ट ऐसी सिफारिशों पर जहां तक वे केन्द्रीय सरकार से संबंधित है, की गई कार्यवाही, ज्ञापन और ऐसी किन्ही सिफारिशों के स्वीकारनकिए जाने के कारणों का, यदि कोई हों और संपरीक्षा रिपोर्ट को, ऐसी रिपोटों के प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

38 प. संचालन समिति का गठन-- (1) राज्य सरकार, व्याघ्र रेंज राज्यों के भीतर व्याघ्र, सह परभक्षी और भक्ष्य पशुओं के समन्वय, मानिटरी, संरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संचालन समिति का गठन कर सकेगी।

(2) संचालन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं--

(क) मुख्यमंत्री-- अध्यक्ष;

(ख) वन्य जीव का भारसाधक मंत्री-- उपाध्यक्ष;

(ग) उतने सरकारी सदस्य जो पांच से अधिक न हों, जिनके अन्तर्गत व्याघ्र आरक्षिति के दो क्षेत्र निदेशक या राष्ट्रीय उद्यानों का निदेशक भी है, और उनमें से एक राज्य सरकारों के जनजातीय मामलों संबंधित विभागों से होगा;

(घ) तीन विशेषज्ञ या वृत्तिक जिनके पास वन्यजीव संरक्षण में अर्हताएं और अनुभव है; जिसमें से कम से कम एक जनजाति विकास क्षेत्र से होगा;

(ड) राज्य जनजाति सलाहकार परिष से दो सदस्य;

(च) पंचायती राज्य तथा सामाजित न्याय और अधिकारिता के संबंधित राज्य सरकार के विभागों से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि;

(छ) राज्य का मुख्य वन्यजीव संरक्षक पदेन सदस्य-सचिव होगा।

38 फ. व्याघ्र संरक्षण योजना-- (1) राज्य सरकार, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षिति के रुप में अधिसूचित करेगी।

(2) इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2), धारा 27 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 30, धारा 32 तथा धारा 33 के खण्ड (ख) और (ग) के उपबंध यथाशक्य व्याघ्र आरक्षिति के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अभ्यारण कोलागू होते हैं।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्र के समुचित प्रबंध के लिए व्याघ्र संरक्षण योजना जिसके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द विकास और भिनियोजन योजना भी है, तैयार करेगी जिससे कि निम्नलिखित सुनिश्चित किया जा सके:-

(क) व्याघ्र आरक्षितिका संरक्षण और आवास में प्राकृतिक भक्ष्य-परभक्षी, पारिस्थितितिकी चक्र को विकृत्त किए बिना व्याघ्र सह परभक्षियों और भक्ष्य प्राणियों की व्यवहार्य संख्या के लिए विशिष्ट स्थल आवास निवेश उपलब्ध कराना;

(ख) स्थानीय व्यक्तियों की जीविका संबंधी चिन्ताओं को हल करने कि लिए व्याघ्र आरक्षितियों और एक संरक्षित क्षेत्र या व्याघ्र आरक्षित को एक दूसरे से जोड़ने वाले क्षेत्र में परिस्थिति की उपयुक्त भूमि उपयोग जिससे कि व्याघ्र आरक्षितियों के अभिहित आन्तरिक क्षेत्रों से या अन्य संरक्षित क्षेत्रों के भीतर व्याघ्र जनन आवासों से

वन्यप्राणियों की विस्थापित हो रही संख्या के लिय फैले हुए आवास और गलियारा उपलब्ध कराया जा सके;

(ग) नियमित वनमंडलों और व्याघ्र आरक्षितियों के उन लगे हुए स्थानों की जो व्याघ्र संरक्षण की आवश्यकता से असंगत नहीं है, वन संबंधी क्रियाएं।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार, व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार करते समय व्याघ्र वाले वनों या किसी व्याघ्र आरक्षिति में निवास कर रहे व्यक्तियों के लिए कृषि, आजीविका, विकास संबंधी और अन्य हितों को सुनिश्चित करेगी।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "व्याघ्र आरक्षिति" के अन्तर्गत निम्नलिखित है--

(i) उन राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यरण्यों के आंतरिक या संकटमय व्याघ्र आवास क्षेत्रों का जहां वैज्ञानिक और विष्खयपरक मानदंडों के आधार पर स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र व्याघ्र संरक्षणों के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति या ऐसे अन्य वन निवासियों के अधिकारों पर प्रभाव डाले बिना अक्षत रखा जाना अपेक्षित है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से उस रुप में अधिसूचित किया गया है;

(ii) मध्यवर्ती क्षेत्र या उपान्तीय क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो ऊपर स्पष्टीकरण (i) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पहचान किए ए और स्थापित किए गए संकटमय व्याघ्र आवास के उपान्तीय या मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, और ऐसे क्षेत्र जहां संकटमय व्याघ्र आवास ही समग्रता और व्याघ्र प्रजातियों के लिए पर्याप्त विचारण को सुनिश्चित करने के लिए निवासियों की सुरक्षा की अपेक्षाकृत कम आश्यकता है और जिसका उद्देश्य वन्यजीव और मानव क्रियाकलाप के बीच स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन, विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सम्यक मान्यता के साथ सह अस्तित्व का संवर्धन करना है जिनमें ऐसे क्षेत्रों की सीमाएं संबद्ध ग्राम सभा और स प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से वैधानिक और विषयपरक मानदण्ड के आधार पर अवधारित की जाती है।

(5) पारस्परिक रुप से करार किए गए निबंधों और शर्तों पर, परन्तु ऐसे निबंधन और शर्तें इस उपधारा में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा करती हों, स्वैच्छिक पुनस्र्थापन के लिए उपबंधित के सिवास, व्याघ्र संरक्षण के लिए उन अतिक्रमणीय क्षेत्रों के सृजन के प्रयोजन के लिए ऐसी जनजातियों या वनवासियों को, तब तक पुनर्वासित नहीं किया जाएगा या उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि --

(i) अनुसूचित जनजातियों ओर ऐसे अन्य वनवासियों के भूमि या वन अधिकारों की मान्यता और अधिकारों का अवधारण तथा भूमि या वन अधिकारों के अर्जन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है;

(ii) राज्य सरकार के संबद्ध अभिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और ऐसे वनवासियों की सहमति से और उस क्षेत्र से परिचित पारिस्थितिकीय और सामाजिक विज्ञानी के परामर्श से यह स्थापित नहीं कर देते हैं कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों के क्रियाकलापों या वहां पर उनकी उपस्थ्ज्ञिति से वन्यजीवों पर अपरिवचर्तनीय क्षमि कारित करते के लिए पर्याप्त है और व्याघ्र और उनके युक्तियुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है;

(iii) प्रभावित व्याष्टियों और समुदायों के जीवनयापन के उपबंध करने वाले पुनर्वास या आनुकल्पिक पैकेज तैयार नहीं किए गए हैं और राष्ट्रीय राहत और पुनर्वास नीति में दी गई अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है;

(iv) पुनर्वास कार्यक्रमों के प्रतिसंबद्ध ग्राम सभाओं और प्रभावित व्यक्तियों की अनुप्रमाणित सहमति अभिप्राप्त नहीं कर ली गई है; और

(v) उक्त कार्यक्रम के अधीन पुनर्वास स्थल पर सुविधाएं और भूमि आबंटन उपलब्ध नहीं करा दिए गए हों अन्यथा उनके विद्यमान अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

38ब. व्याघ्र आरक्षितियों का परिवर्तन और उन्हें अधिसूचना से निकालना-- (1) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय व्याघ्र आरक्षिति की सीमाएं परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

(2) कोई राज्य सरकार, लोकहित में व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन सिवाय किसी व आरक्षिति को अधिसूचना से नहीं निकालेगी।

38भ. व्याघ संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना--(1) राज्य सरकार, राज्य के भीतर व्याघ्र आरक्षिति के लिए व्याघ्र और जैव विविधता के संरक्षण के लिए उनके पबंध को सुकर बनाने और सहायता करने के लिए और ऐसी विकास प्रक्रिया में व्यक्तियों को सम्मिलित करके आर्थिक विकास में पहल करने के लिए व्याघ्र आरक्षिति के लिए व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना करेगी।

(2) व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान के, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित उद्देश्य होंगे --

(क) व्याघ्र आरक्षितियों में पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सुकर बनाना;

(ख) स्थानीय पणधारी समुदाओं को सम्मिलित करके पारिस्थितिकी पर्यटन का संवर्धन करना और व्याघ्र आरक्षितियों में प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षितकरने के लिए सहायता देना;

(ग) ऐसी आस्तियों का सृजन और/या उनके अनुरक्षण को सुकर बनाना जो उक्त उद्देश्यों की पूति के लिए आवश्यक हों;

(घ) उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठान के क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित तकनीकी, वित्तीय, सामाजिक, विधिक और अन्य सहायता प्राप्त करना;

(ड) पणधारी विकास और पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना और उन्हें जुटाना जिनके अन्तर्गत किसी व्याघ्र आरक्षिति में प्रवेश का पुनः चक्रण और प्राप्त की गई अन्य फीस भी है;

(च) उपर्युक्त संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण में सहायता देना।

अध्याय 4 ग

व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो

38 म. व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन-- केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों के नाम से ज्ञात एक व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपरध नियंत्रण ब्यूरों का गठन करेगी वह निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

(क) वन्यजीव संरक्षण निदेशक-पदेन निदेशक;

(ख) पुलिस महानिरीक्षक- अपर निदेशक;

(ग) पुलिस उप महानिरीक्षक- संयुक्त निदेशक;

(घ) वन उप महानिदेशक-संयुक्त निदेशक;

(ड) अपर आयुक्त (सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क)- संयुक्त निदेशक; और

(च) ऐसे अन्य अधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधिन आनेवाले अधिकारियें में नियुक्त किये जाऐ।

38 य. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों की शक्तियां और कृत्य-- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधिन रहते हुए, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों निम्नलिखित की बावत उपाय करेगा:-

(i) संगठित वन्यजीव अपरध क्रिया कलापों से समबंधित आसूचना संग्रहित करना और सम्पादन करना तथा उसके तुरंत कार्यवाही के लिए राज्य और प्रवर्तन अभिकरणों को प्रसारित करना जिससे अपराधियों का पकड़ा जा सके और केन्द्रीय कृत्य वन्यजीव अपराध आंकड़ा बैंक खाता स्थापित किया जा सके;

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा सीधे ही या ब्यूरो द्वारा स्थापित प्रादेशिक और सीमा यूनिटों के माध्यम से की गई कार्यवाईयों का समन्वय करना;

(iii) विभिन्न अन्तर्राष्टीय अभिसमयों और प्रोटोकालों की जो इस समय प्रवृत्त हैं या जो भविष्य में भारत द्वारा अनुसमर्थित या स्वीकार की जा सकेंगी, बाध्यताओं का क्रियान्वयन करना;

(iv) वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिये विदेशों में संबंध प्राधिकारियों और संबद्ध अन्तर्राष्ट्री संगठनों के समन्वय और सर्वव्यापी कार्यवाही को सुकर बनाने के लिए सहायता करना;

(v) वन्यजीव अपराध में वैज्ञानिक और वृत्तिक अन्वेशण के लिए अवसंरचना और क्षमता निर्माण में विश्वास करना और वन्यजीव अपराधों से संबंधित अभियोजनों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना;

(vi) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन रखने वाले वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना तथा समय-समय सुसंगित नीति और विधियों में अपेक्षित परिवर्तनों का सुझाव देना।

(2) वन्यजीव अपराण नियंत्रण ब्यूरो:-

(i) ऐसी शक्तियों का जो उसे इस अणिनियम की धारा 5 की उपधारा (1), धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (8) तथा धारा 55 क अधीन प्रत्यायोजित की जाएं; औॅर

(ii) ऐसी अन्य शक्तियों का, जो विहित की जाएं, प्रयोग करेगा)